

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 15(4)गृह-1/2019

जयपुर, दिनांक : 31.07.2020

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या...122/.....
दिनांक 4/8/2020

आदेश

श्री गौरी शंकर बोहरा पुत्र श्री बुद्धा लाल के विरुद्ध नियम 17 सीसीए में विभागीय जांच में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। श्री बोहरा, पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दण्डादेश के विरुद्ध राज्य सरकार में अपील करने पर राज्य सरकार के अपीलादेश दिनांक 11.02.2020 द्वारा उक्त दण्डादेश को अपास्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2019-20 की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार गौरी शंकर बोहरा पुत्र श्री बुद्धा लाल को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2019-20 की दिनांक 01.07.2019 की रिक्ति के प्रति एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री सूर्यवीर सिंह/महेन्द्र सिंह (सामान्य) के नाम के नीचे एवं श्री सुनील कुमार झाझरिया/हीरालाल (सामान्य) के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री गौरी शंकर बोहरा, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

31/7/2020

(गुरु प्रसाद शर्मा)

सहायक शासन सचिव, पुलिस